न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 83 / 2018

1 धर्मपाल पुत्र मामनसिंह।
2 रणधीर पुत्र मामनसिंह।
3 वीरसिंह पुत्र मामनसिंह समस्त जाति अहीर निवासीगण जयसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 दिनेश कुमार यादव पुत्र श्रीराम जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू हाल आबाद 157 सेक्टर पाकेट बी बंसत कुंज नई दिल्ली।
2 लीना पुत्री श्रीराम।
3 जगदीश पुत्र श्रीराम।
4 रामस्वरूप पुत्र श्रीराम।
5 रामसिंह पुत्र बनवारी।
6 सुरेश पुत्र बनवारी।
7 रामनिवास पुत्र होशियार सिंह।
8 कैलाशचन्द्र पुत्र होशियार सिंह।
9 कंवर सिंह पुत्र अमीलाल।
10 कर्णसिंह पुत्र अमीलाल समस्त जाति अहीर निवासीगण जयसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
11 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा बुहाना व शाखा बडबड तहसील बुहाना जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

12 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर बुहाना जिला झुंझुनू राजस्थान जरिये शाखा प्रबन्धक।
13 लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद अन्तिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.05.2018 द्वारा उपखण्ड अधिकारी बुहाना उनवानी मुकदमा दिनेश कुमार आदि बनाम रामस्वरूप आदि दावा बाबत खाता विभाजन राजस्व वाद संख्या 26/2016

उपस्थिति :

1. श्री उम्मेदराज सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—30.12.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 26/2016 में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 की और से विचारण न्यायालय में दावा खाता विभाजन बाबत भूमि खसरा नम्बर 1760,1761,1763,1802/3,1802/4,1805,1806,1807,1808, 1809, 810, 1811,1812 वाके ग्राम बुहाना, खसरा नम्बर 10,11,159,160,161,162,189, 190, 191, 192,193 वाके ग्राम जयसिंहपुरा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अन्तिम डिक्री पारित की है। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 6,7,8 की और से यह अपील प्रस्तुत की गई है। दौराने अपील अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01,03,04,06,07,08 की और से इस न्यायालय में राजीनामा पेश किया गया जो तस्दीक किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचाराधीन निर्णय में दावा प्रतिदावा स्वीकार कर डिक्री किया गया है। प्राथमिक डिक्री में कब्जे काश्त, रिकार्ड, रास्ते के प्रावधान के निर्देश के साथ डिक्री जारी की गई। इससे हम व्यथित नही थे इसलिए इसकी अपील नही की। विचारण न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव आई.एल.आर. द्वारा तैयार किये गये है। जबकि तहसीलदार स्वंय द्वारा तैयार किये जाने चाहिए थे तहसीलदार ने इन विभाजन प्रस्ताव पर केवल प्रति हस्ताक्षर किये है। विचारण न्यायालय में हमे आपत्ति का अवसर प्रदान नही किया गया है। आपत्ति केवल ग्राम जयसिंहपुरा की भूमि बाबत है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि राजीनामे में अपीलांट ने जिनसे 0.11 हैक्टेयर भूमि चाही है उसकी उपस्थिति एवं सहमती नही है। प्राथमिक डिक्री की अपील, प्रतिदावे की अपील नही की गई है। अत अपील पोषणीय नही है। सभी पक्षकारों के मध्य राजीनामा नही हुआ है। राजीनामे में जगदीश पुत्र श्रीराम लिखा है। जबकि जगदीश उमराव का पुत्र है धारा 97 सीपीसी के अन्तर्गत प्राथमिक डिक्री की अपील नही करने पर अन्तिम डिक्री की अपील पोषणीय नही है। अपीलांट ने प्राथमिक डिक्री के क्रम में तैयार विभाजन प्रस्ताव पर कभी आपत्ति नही की। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है अपील सारहीन है खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2012(1) पेज 351 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में विभाजन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
भीलवा

प्रस्ताव आई.एल.आर. द्वारा तैयार किये गये है। जबकि तहसीलदार स्वंय द्वारा तैयार किये जाने चाहिए थे तहसीलदार ने इन विभाजन प्रस्ताव पर केवल प्रति हस्ताक्षर किये है। इस तथ्य की पुष्टि विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से होती है। विभाजन प्रस्ताव के सम्बंध में स्पष्ट प्रावधान है कि तहसीलदार स्वंय मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करेगा। प्रस्तुत प्रकरण में इन प्रावधानों की पालना नही की गई है। यद्यपि अपीलांट द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर केवल ग्राम जयसिंहपुरा की भूमि के लिए प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया है किन्तु उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण विभाजन प्रस्ताव ही विधि सम्मत नही है।

प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेंट का उजर रहा है कि प्राथमिक डिक्री की अपील नही करने से अन्तिम डिक्री की अपील पोषणीय नही है। हम इस तर्क से सहमत नही है क्योंकि प्राथमिक डिक्री से अपीलांट को कोई आपत्ति नही थी।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार स्वंय द्वारा मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करें विचारण न्यायालय बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.01.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर